

लोकअदालत

सत्र-2019

मुद्रता रु०:-

आदेश फलाक :-

636 / 2017

विधीय संखा. ३०

दृष्टि प्र० सं० 107

सोना देवी

नाम:

बैजनाथ मुहम्मद + ५

वाद लग्भित अन्तर्गत न्यायालय

अनुसंधान कार्यालय कर्त्तव्य संकारनीय संघर्ष

विधीय संखा.

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

शपियुक्ति

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया।

विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष

उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे प्रतित होता है कि दोनों

पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न

शान्ति मिल होने की कोई संभावना प्रतित होता है। अतः

अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक

अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है।

R.
रामलक्ष्मी
23.02.019

सदस्य